

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र)

(दिनांक 26 जुलाई, 2010 से 03 अगस्त, 2010 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
वर्ग - 1				
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	26 जुलाई, 2010 02 अगस्त, 2010	03 जुलाई, 2010 09 जुलाई, 2010	
वित्त	"			
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"			
ऊर्जा	"			
खनिज साधन	"			
जनसंपर्क	"			
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	"			
विमानन	"			
कृषि	कृषि मंत्री			
पशुधन विकास	"			
मछली पालन	"			
श्रम	"			
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"			
वर्ग - 2				
गृह	गृह मंत्री	27 जुलाई, 2010 03 अगस्त, 2010	05 जुलाई, 2010 12 जुलाई, 2010	
जेल				
सहकारिता				
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
चिकित्सा शिक्षा				लोक स्वास्थ्य मंत्री
वाणिज्यिक कर				"
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास				"
महिला एवं बाल विकास				महिला एवं बाल विकास मंत्री
समाज कल्याण				"
खेल एवं युवा कल्याण				"
वर्ग - 3				
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री	28 जुलाई, 2010	06 जुलाई, 2010	
स्कूल शिक्षा	"			
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"			
संस्कृति	"			
पर्यटन	"			
संसदीय कार्य	"			
वन	"			
सार्वजनिक उपक्रम	वन मंत्री			
जन शिकायत निवारण	"			

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 4			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	} 29 जुलाई, 2010	} 07 जुलाई, 2010
विधि एवं विधायी कार्य	"		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
आयाकट	"		
उच्च शिक्षा	"		
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	"		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"		
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री		
वर्ग - 5			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	} 30 जुलाई, 2010	} 08 जुलाई, 2010
ग्रामोद्योग	"		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"		
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री		
आवास एवं पर्यावरण	"		
परिवहन	"		

- नोट :-**
- विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों को लागू होंगे.
 - सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में कार्यालय समय में प्राप्त की जावेगी.
 - प्रश्नों की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
 - फैक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएगी.

रायपुर
दिनांक : 30 जून, 2010

पृ.क्र. 6513 / वि.स. / प्रश्न / 2010

प्रतिलिपि :-

- समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

रायपुर, दिनांक : 30 जून, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा